न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2009

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 धर्मीचन्द पुत्र अमोलकचन्द		1 भोमाराम पुत्र हजारी धोबी निवासी सोजतरोड के का0मु0
2 ज्ञानचन्द पुत्र अमरचन्द जाति ओसवाल जाति जैन निवासी सोजतरोड हाल काचीपुरम के आम मुख्तियार विष्णुकुमार पुत्र ओमकारलाल व्यास निवासी सोजतरोड		1/1 नोजाई पत्नि भोमाराम 1/2 शंकर पुत्र भोमाराम 1/3 दलाराम पुत्र भोमाराम जाति धोबी निवासी सोजतरोड 2 ग्राम पंचायत सोजतरोड जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सोजतरोड द्वारा मिसल संख्या 9/1997–1998, संकल्प संख्या 8 दिनांक 13.11.2000 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 13.11.2000 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत कलालीया द्वारा दिनांक 23.05.2017 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सोजतरोड में रेल्वे माल गोदाम रोड के पीछे प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि स्थित है, जिसके उत्तर में आवासीय मकान, दक्षिण में रास्ता एव शास्त्री नगर, पूर्व में रास्ता व गवारियो का मोहल्ला एवं पश्चिम में रास्ता व सम्पत कॉलोनी स्थित है। पूर्व में रास्ता है, जो कदीमी है एवं जिस पर प्रार्थी एवं अन्य लोग उपयोग व उपभोग करते है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने रास्ते की भूमि का नियम विरूद्ध व गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने रास्ते की भूमि का पट्टा बनाया है तथा उक्त पट्टे में पश्चिम की तरफ प्रार्थी की भूमि बताई है एवं प्रार्थी के पट्टे में प्रार्थी की जमीन के बाद रास्ता बताया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जहां रास्ता था, उस भूमि का पट्टा व नियमन व भूमि विक्रय पंचायत द्वारा किया गया है। जिसे करने का पंचायत को कोई अधिकार नही है। इस प्रकार पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नही है तथा प्रार्थी का किसी भी रूप में हित प्रभावित नही होता है। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीन निगरानी याचिकाऐं खारिज हो चुकी है। प्रार्थी ने रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने का आधार लिया है, जबकि उक्त भूमि रास्ते की हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सोजतरोड द्वारा मिसल संख्या 98/2002–2003, संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.02.2003 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 0854 दिनांक 05.02.2003 के विरूद्ध पेश की गई। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.11.2002 को सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर दिनांक 18.11.2002 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा बनाने के आदेश दिये गये। दिनांक 05.12.2002 को नक्शा प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत की जाकर वांछित भूमि का मौका निरीक्षण करने के आदेश प्रदान किये गये। तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नियम 157 (ख) के तहत कब्जासुदा मकान का पट्टा बनाने की निवेदन किया। दिनांक 20.12.2002 को वार्ड पंचों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम 147 के तहत पट्टा बनाने हेतु अन्तिम निश्चय किया जाकर नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। इसी दिनांक को नोटिस जारी किया गया, जो दो गवाहों के समक्ष चस्पा किया जाना नोटिस की पुस्त पर अंकित है। दिनांक 20.01.2003 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर ग्राम के दो बुजुर्गो के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 21.01.2003 को दुलीचन्द एवं शंकरलाल के बयान कलमबद्ध किये गये, जिन्होने अपने बयानों में वांछित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होना बताया। इसके पश्चात 05.02.2003 को नियम 157 के तहत 200/– रूपये लिये जाकर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है, जो रास्ता प्रार्थी के पट्टे के पूर्व दिशा में दर्शित है। इस तथ्य को साबित करने हेतु प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि में जारी किया गया हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने स्वयं की भूमि का पट्टा की अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नही किया। जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टे की मिसल के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली